न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 11/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 गंगाराम 2 किशोर कुमार पिसरान ताराचन्द 3 लीलादेवी पत्नी ताराचन्द 4 सांगाराम पुत्र डूंगराराम 5 बगताराम 6 टीलाराम 7 भंवराराम 8 मिसराराम पिसरान हीराराम 9 धापूदेवी पत्नी हीराराम 10 लुम्भाराम पुत्र मानाराम 11 लक्ष्मणराम 12 शिवलाल 13 चनणाराम 14 बालाराम पिसरान भूराराम 15 रेखों पत्नी भूराराम 16 सकू पत्नी मोहनलाल 17 देवाराम पुत्र मानाराम 18 शेरू पत्नी आसूराम जाति सुथार निवासी आलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 सालूराम 2 खीमाराम पिसरान भूराराम 3 जगाराम पुत्र आसूराम जाति सुथार निवासी आलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर 4 प्रबन्धक ओएनजीसीएल केशव दीप, मालवीय काम्पलेक्स मण्डोर रोड जोधपुर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री भोमाराम चौधरी वकील प्रार्थीगण।
2 श्री अमृत जैन वकील अप्रार्थी संख्या 04।

आदेश

दिनांक 11.04.19

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी का खेत मूल खसरा संख्या 374 रकबा 47.05 बीघा मौजा ढूंढा पटवार हल्का कवास तहसील व जिला बाडमेर में आया हुआ है। उक्त मूल खसरे में से अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा 03.18 बीघा भूमि अवाप्त की, जिसका नामान्तकरण संख्या 762 दिनांक 29.02.2008 को ओएनजीसी के पक्ष में स्वीकृत हुआ। उतनी जगह पर वर्तमान में मौके पर सड़क (एमपीटी) बनी हुई है। उक्त अवाप्त जमीन की तरमीम जहां वर्तमान में सड़क बनी हुई है, वहा नही कर इस खसरा संख्या 374 के एक किनारे पर कर दी, जो सही नही है। अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई है, उसका खसरा संख्या 1026/374 रकबा 03.18 बीघा है। उक्त अवाप्त की गई भूमि के बाद शेष रही खसरा संख्या 374 की भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा दिनांक 18.12.2012 को कर दिया, जिसका नामान्तकरण संख्या 897 है। उक्त खसरों में से प्रार्थी संख्या 01 से 04 का खसरा संख्या 1156/374 रकबा 14.04 बीघा, खसरा संख्या 1027/374 रकबा 0.05 बीघा कुल रकबा 14.09 बीघा है। प्रार्थी संख्या 05 से 09 का खसरा संख्या 1157/374 रकबा 12.07 बीघा व खसरा संख्या 746/374 रकबा 02.02 बीघा कुल रकबा 14.09 बीघा तथा प्रार्थी संख्या 10 से 18 व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से खसरा संख्या 745/374 रकबा 14.09 बीघा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि वर्तमान सड़क के दोनों और स्थित है, जबकि राजस्व नक्शे में ईकतरफा दशाई गई है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त अवाप्ति के आधार पर तरमीम यथा स्थान पर नही कर उसके विपरित की है, जिससे राजस्व रेकर्ड व नक्शे में सड़क के दोनों और रकबे में अन्तर हो गया है। खसरा संख्या 1156/374 व

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 1027/374 कुल रकबा 14.09 बीघा दर्शाया है जबकि उक्त भूमि में से सड़क के एक तरफ 08.03 बीघा व दुसरी तरफ 06.06 बीघा के लगभग है। खसरा संख्या 1157/374 व 746/374 कुल रकबा 14.09 बीघा है जबकि वर्तमान में सड़क के एक तरफ 10.11 बीघा तथा दुसरी तरफ 03.18 बीघा के लगभग है। इसी तरह खसरा संख्या 745/374 कुल रकबा 14.09 बीघा वर्तमान में नक्शे के एक तरफ दर्शाया गया है, जबकि उक्त खसरे में भी एक तरफ 12.14 बीघा व सडक के दुसरी तरफ 01.15 बीघा के लगभग है। यदि उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 04 के रकबे वो कोरीडोर प्रभावित नही होगा। इसी खसरा संख्या से सटे हुए पटवार हल्का बन्दरा के खसरा संख्या 776 व उससे एमपीटी की तरफ के तरफ के खसरों की पूर्व में प्रकरण संख्या 24/2012 मोतीराम बनाम ओएनजीसी आदेश दिनांक 30.03.2012 की पालना में तरमीम दुरूस्त की जा चुकी है। लिहाजा प्रार्थीगण इस त्रुटी को आवेदन के माध्यम से शुद्ध करवाने का अधिकारी है। आवेदन के तथ्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को भिजवाया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन के साथ प्रकरण पुनः प्राप्त हुआ।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा में भिन्नता आ रही है। वर्तमान में रेकर्ड के अनुसार भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है:-

1. मूल खसरा संख्या 374 रकबा 47.05 बीघा भूमि में से 03.18 बीघा भूमि अवाप्त होने पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 762 द्वारा ओएनजीसीएल के नाम रेकर्ड में अमल दरामद किया गया, जिसका नवीन खसरा संख्या 1026/374 अंकित किया गया।
2. उक्त अवाप्त की गई भूमि में से शेष रही भूमि को खातेदारान द्वारा 1/3 हिस्से के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन दिनांक 18.12.2012 को किया गया, जिसका स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 897 द्वारा रेकर्ड में अमल दरामद किया गया। वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार खातेदारान की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदारान का विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1	34	गंगाराम किशोर कुमार पिसरान ताराचन्द लीलादेवी पत्नी ताराचन्द सागाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	1027/374 1156/374	0.05 14.04	बा.अ. बा.अ.	–
			2	14.09	बा.अ.	1.81
2	161	लूम्भाराम पुत्र मानाराम 1/5 लक्ष्मणराम सालूराम खीमाराम शिवलाल चनणाराम बालाराम पिसरान भूराराम रेखो पत्नी भूराराम 1/5 देवाराम पुत्र	745/374	14.09	बा.अ.	1.81

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

		मानाराम 1/5 जमा पुत्र आसू शेरू पत्नी आसू 1/5 जाति सुथार सा. देह सकूदेवी पत्नी मोहनलाल 1/5 जाति सुथार सा. बाडमेर खातेदार				
3	168	बगताराम टीलाराम भंवरलाल मिसराराम पिसरान हीराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	746/374 1157/374	02.02 12.07	बा.दो. बा.अ.	0.13 1.54
			2	14.09	—	1.68

3. मौके का निरीक्षण एवं उपस्थित पक्षकारान एवं मौतबिरान द्वारा अवगत कराये अनुसार मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि वर्तमान में मौके पर निर्मित सड़क के दोनों तरफ आती है जबकि नक्शा लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में तकरीबन सड़क के एक तरफ ही दर्शायी गयी है।

4. मौके पर खसरा संख्या 374 में निर्मित सड़क तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त भूमि के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर निर्मित सड़क का नक्शा लठ्ठा ट्रेस में यथास्थान तरमीम नही की गई है, जिससे मौके की स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा में भिन्नता आ रही है। मौके पर निर्मित सड़क के अनुरूप नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करने से नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की स्थिति तथा जमाबन्दी में खातेदारान की भूमि की स्थिति निम्न प्रकार परिवर्तित होगी :—

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदारान का विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1	34	गंगाराम किशोर कुमार पिसरान ताराचन्द लीलादेवी पत्नी ताराचन्द सांगाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	1027/374 1156/374	06.06 08.03	बा.अ. बा.अ.	—
			2	14.09	बा.अ.	1.81
2	161	लूम्भाराम पुत्र मानाराम 1/5 लक्ष्मणराम सालूराम खीमाराम शिवलाल चनणाराम बालाराम पिसरान भूराराम रेखो पत्नी भूराराम 1/5 देवाराम पुत्र मानाराम 1/5 जगा पुत्र आसू शेरू पत्नी आसू 1/5 जाति सुथार सा. देह सकूदेवी पत्नी मोहनलाल 1/5 जाति सुथार सा. बाडमेर खातेदार	745/374 नया	10.11 03.18	बा.अ. बा.अ.	—
			2	14.09	बा.अ.	1.81
3	168	बगताराम टीलाराम भंवरलाल मिसराराम पिसरान हीराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	746/374 1157/374 नया	02.02 10.12 01.15	बा.दो. बा.अ. बा.अ.	0.13 1.54
			3	14.09	—	1.68

मौके अनुसार लठ्ठा ट्रेस में तरमीम का प्रस्तावित मानचित्र बरंग हरा दर्शा कर सलंग्न है।

5. पूर्व में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के निर्णय दिनांक 30.03.2012 अनवान मोतीराम बनाम ओएनजीसी एवं सरकार में आदेश की पालना में मौजा आलाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 1017/778 व ग्राम सर का पार के खसरा संख्या 1043/774 की तरमीम दुरूस्ती की कार्रवाई की गई है। मौका

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त की जाती है तो ओएनजीसी का रकबा व कोरीडोर का रकबा यथावत रहेगा। ओएनजीसी द्वारा अवाप्त भूमि में सड़क निर्मित होने पर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित करते समय भूल हुई है। अतः मौके पर निर्मित सड़क की कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए तरमीम दुरुस्त किया जाना अपेक्षित है, ताकि राजस्व रेकर्ड जमबान्दी तथा नक्शा ट्रेस में एकरूपता हो सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में आवेदन में अंकित भूमि का मौके एवं रेकर्ड में भारी अनतर है। मौके व रेकर्ड के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो ओएनजीसी का रकबा व कोरीडोर का रकबा यथावत रहेगा। मौके की रिपोर्ट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि यदि ओएनजीसी एवं कोरीडोर का रकबा यथावत रहता है तो इस तरमीम दुरूस्ती से उन्हे कोई आपति नही है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मौके एवं रेकर्ड की स्थिति भिन्न है। संलग्न नक्शा में अंकित हरी स्याही से दर्शाये अनुसार सड़क की तरमीम की जाती है तो ओएनजीसी एवं कोरीडोर के रकबे में कोई अन्तर नही आयेगा एवं खातेदारान की मौके व रेकर्ड की स्थिति सही हो जायेगी। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंसा की है।

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुरूप यदि तरमीम दुरूस्त की जाती है तो पक्षकारान के रकबे में किसी प्रकार का अन्तर नही आयेगा एवं मौके व रेकर्ड की स्थिति सही हो जायेगी।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के मद्देनजर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा ढूंढा पटवार क्षैत्र कवास तहसील व जिला बाडमेर में निम्नानुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदारान का विवरण	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1	34	गंगाराम किशोर कुमार पिसरान ताराचन्द लीलादेवी पत्नी ताराचन्द सांगाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	1027/374 1156/374	06.06 08.03	बा.अ. बा.अ.	–
			2	14.09	बा.अ.	1.81
2	161	लूम्भाराम पुत्र मानाराम 1/5 लक्ष्मणराम सालूराम खीमाराम शिवलाल चनणाराम बालाराम पिसरान भूराराम रेखो पत्नी भूराराम 1/5 देवाराम पुत्र मानाराम 1/5 जगा पुत्र आसू शेरू पत्नी आसू 1/5 जाति सुथार सा. देह सकूदेवी पत्नी मोहनलाल 1/5 जाति सुथार सा. बाडमेर खातेदार	745/374 नया	10.11 03.18	बा.अ. बा.अ.	–
			2	14.09	बा.अ.	1.81

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

3	168	बगताराम टीलाराम भंवरलाल मिसराराम पिसरान हीराराम जाति सुथार सा. देह खातेदार	746 / 374 1157 / 374 नया	02.02 10.12 01.15	बा.दो. बा.अ. बा.अ.	0.13 1.54
			3	14.09	—	1.68

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11.04.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner